न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 107/2023

1. कमला पुत्री हंसराज जाति बिश्नोई निवासी हनुमानगढ़
2. रविन्द्रकुमार पुत्र साहबराम जाति बिश्नोई निवासी 20 केवाईडी खाजूवाला

.....प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थी

–: आदेश :– दिनांक :– 30.06.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि हम प्रार्थीगण के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 8 केजेडी ए का मु0नं0 102/18 के किलानं0 1/2 में 0.2276, 2 ता 9 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है, 10/2 में 0.2276 है0, 11/2 में 0.2276 है0, 12 ता 15 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0 इसप्रकार 3.7176 है0 अ0क0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी भूमि मुरब्बा नं0 102/18 के किला नं0 11, 12 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर (किला नं0 19, 20 के चिपता हुआ) कुल 4 बिस्वा कृषि भूमि को अपनी सहमति से रास्ते हेतु समर्पण करना चाहते है तथा समर्पण की गई उक्त भूमि बाबत् हम प्रार्थीगण भविष्य में किसी प्रकार कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं करेगें। यदि कोई वाद दायर करते है तो न्यायालय में गलत व झूठे करार दिये जायेगें तथा 4 बिस्वा भूमि को रास्ते हेतु गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि उचित कार्यवाही कर उक्त भूमि में से 4 बिस्वा भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार वादगत भूमि कमला पुत्री हंसराज हिस्सा 1/2 व रविन्द्रकुमार पुत्र साहबराम हिस्सा 1/2 जाति बिश्नोई खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के समर्पण करवाना चाहते है। उक्त मु0नं0 102/18 के किला नं0 1,10,11,20,21 में रास्ता स्वीकृत है। उक्त भूमि मु0नं0 102/18 व 102/17 के मध्य पक्की सड़क बनी है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। उक्त भूमि नगरपालिका खाजूवाला के पैराफेरी क्षेत्र में आती है। बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 102/18 के किला नं0 11, 12 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा में स्थायी सार्वजनिक रास्ता तहसीलदार रिपोर्ट तथा **राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 में समस्या सं0 1 समाधान में लिखा है कि ''राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू है किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के प्रावधानुसार किया जावेगा।**

यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू– अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामान्तरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी '' के आधार स्वीकार करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार खाजूवला की रिपोर्ट नजरी–नक्शा के आधार पर व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि चक 8 केजेडी ए के मुरब्बा नं0 102 / 18 के किला नं0 11, 12 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा तथा तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)